भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय अनुबन्ध पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	:	कृषि
2.	क्षेत्रफल	:	[illegible]
3.	ग्राम/मोहल्ला	:	[illegible]
4.	[illegible]	:	[illegible]
5.	[illegible]	:	[illegible]
6.	[illegible]	:	[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

9.	राइस की डिग्री	सुल्तानपुर [illegible] के 500 मीटर के अंदर दूरी पर स्थित है।
8.	पहुँच का फासला	[illegible]
9.	[illegible]	[illegible]
10.	प्रतिवर्ष की [illegible]	[illegible]
11.	[illegible]	[illegible]
12.	[illegible]	[illegible]
13.	[illegible]	[illegible]

चौहद्दी

[illegible]

पूर्व	[illegible]
पश्चिम	[illegible]
उत्तर	[illegible]
दक्षिण	[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

प्रथम पक्षकार का नाम	द्वितीय पक्षकार का नाम
गया प्रसाद पुत्र स्व०, निवासी- ग्राम-कोना, थाना- [illegible], तहसील व जिला- लखनऊ	[illegible] पुत्र [illegible] निवासी, थाना- [illegible], जिला- लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय अनुबन्ध पत्र

[illegible] विक्रय अनुबन्ध पत्र अब [illegible] पुत्र [illegible], निवासी ग्राम-[illegible], पोस्ट [illegible], तहसील व जिला-[illegible], [illegible] द्वारा [illegible] पंजीकृत कराया गया है तथा [illegible] पुत्र [illegible] निवासी- पुत्र [illegible], [illegible]- [illegible], [illegible]-[illegible], जिला-[illegible], द्वारा [illegible] द्वारा पंजीकृत कराया गया है के रूप में निष्पादित हुआ।

[illegible] कि उक्त [illegible] कृषि भूमि [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], जिला-[illegible], [illegible]-[illegible], तहसील

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

210963

- 1 -

व जिला सहारनपुर का वार्षिक मूल्यांकन व [illegible]) तथा अधिनियम [illegible] करता हुआ [illegible] 1990 के अनुसार कृषि भूमि तथा पर्यावरणीय के साथ अनावश्यक हस्तक्षेप हो चुकी है। अतः वे उक्त अनुपयोगी कृषि भूमि मुझ प्रथम पक्षकारिणी की सम्पत्ति है तथा वे राजस्व अभिलेखों में मुझ प्रथम पक्षकारिणी का नाम अंतर्गत [illegible] के रूप में अंकित हो चुका है। मुझ के द्वारा प्रतिफल के पारिवारिक सम्पर्क बाद करने के पश्चात उक्त कृषि का विक्रय अन्तरण द्वितीय पक्षकारिणी के पक्ष में निष्पादित कर दिया, कृषि भूमि प्रथम पक्षकारिणी के कब्जे व अधिकार में बिना विवाद मेरे पास है, विक्रीत कृषि भूमि [illegible] हर किस्म के

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible]

-4-

[illegible] विक्रय, [illegible] बाद [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible]

[illegible] 2011

[illegible]

[illegible] है जिसमें भूमि की [illegible] लगभग 22,00,000/- अथवा उसी [illegible] से [illegible] है. जिसमें [illegible] पृष्ठ [illegible] 1,313 [illegible] भूमि की [illegible] लगभग रु. 22,77,000/- [illegible] है [illegible] जिस [illegible] से अधिक [illegible] अतः [illegible] भूमि [illegible] पृष्ठ रु0 1,59,000/- व अनुलग्न भूमि रु0 [illegible] - कुल 1,59,000/- [illegible] लिया जाता है:

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है –

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

629164

1 -

[illegible] कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में उपरोक्त [illegible] [illegible] [illegible] के अनुसार प्रथम पक्षकारिणी ने द्वितीय पक्षकार के [illegible] [illegible] किया है. जिसकी धारा [illegible] पक्षकारिणी [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पक्षकारिणी को द्वितीय पक्षकार ने विक्रय निर्णय के साथ [illegible] लेना।

2. [illegible] पक्षकारिणी ने प्रथम पक्षकारिणी को [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] अनुसार प्रथम पक्ष ने

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

145186

4. यह कि उपरोक्त पंजीयन में होने वाले समस्त खर्चे वि. पंजीयन शुल्क, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आदि सभी विक्रेता द्वारा वहन की होंगी।

5. यह कि इस अनुबन्ध पत्र द्वारा बन्धक किया जाता है।

6. यह कि क्रयादेश विक्रय अनुबन्ध पत्र के पूर्व प्रथम पक्षकार के पक्षकारों विरुद्ध सिविल सर्टिफिकेट, फरलांग व हिलीज पक्षकारों व हिलीज पक्षकारों पक्ष के सिविल सर्टिफिकेट आदि पर भी प्रभावी होंगे।

अचल सम्पत्ति का विवरण

भूमि आराजी संख्या-[illegible] रकबा 1.012 हेक्टेयर, स्थित-ग्राम-[illegible], परगना-[illegible], तहसील व जिला लखनऊ।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1. [illegible] 2,50,000/- [illegible] प्रथम पक्षकारिणी [illegible] प्राप्त किया।

2. [illegible] 2,00,000/- [illegible] प्रथम पक्षकारिणी [illegible] प्राप्त पूर्ण में प्राप्त किया।

इस प्रकार कुल धनराशि रु0 5,00,000/- [illegible] प्रथम पक्षकारिणी [illegible] प्राप्त किया, जिसकी प्रथम पक्षकारिणी [illegible] करती है।

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

29 MAR 2011

- 2 -

आज यह विलेख अनुबन्ध पत्र आज दिनांक 30 मई सन् 2011, को प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार के बीच और इसके माध्यम किसी शख्स के द्वारा मौखिक रूप से सहमति से अपने अपने हस्ताक्षर कागज पर दिया ताकि सनद हो और सबूत आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

आराजी खरीदार ने देखी लेली है आराजी उपरोक्त में पेड़, दरख्त, कुआ व इमारत आदि नहीं है। आराजी आरोपित के अन्दर मौरूसी किस्म के कोई निर्माण आदि नहीं है।

यह कि प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य है

[illegible]

उक्त आटवी जिली योजना व डिंडी अधवारी व अर्थ कालावारी संस्था द्वारा अभियुक्ति नहीं है।

लखनऊ

दिनांक :- 20.05.2011

गवाह :-

1. [illegible]

2. [illegible]

प्रवीण श्रीवास्तव

दिनेश गुप्ता

हस्ताक्षर

(राम होरिहो)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

हस्ताक्षर

(विवेक कुमार सिंह)
एडवोकेट

Fig. 1

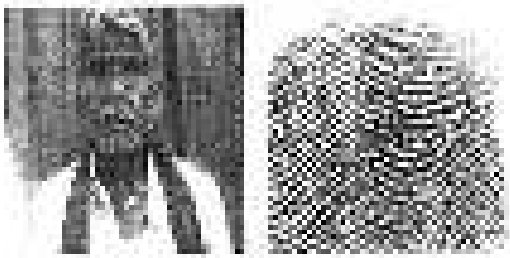

[illegible]

उपमा [illegible] चरमना [illegible] तहसील [illegible] जनपद [illegible]

खसरा सं- 477 [illegible] [illegible] 2012-13

[illegible] 12-2 [illegible] Year: 2011 [illegible]

2011 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1908 की धारा 34 ए, के अनुपालन हेतु

फिंगर प्रिन्टस्

विक्रेता का नाम व पता– [illegible] पुत्र [illegible], निवासी [illegible], पत्रा–[illegible], तहसील व जिला– [illegible]

दायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

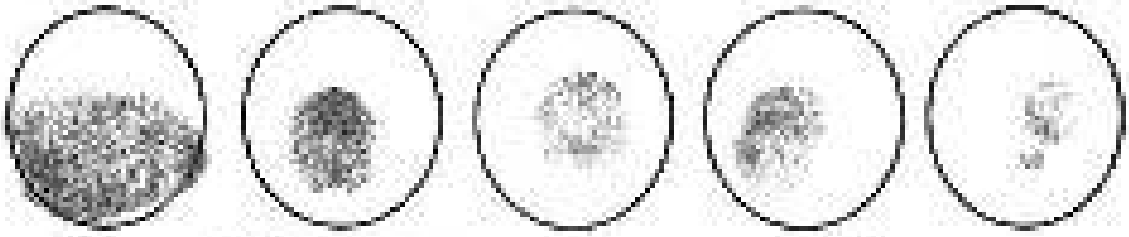

बाईं हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

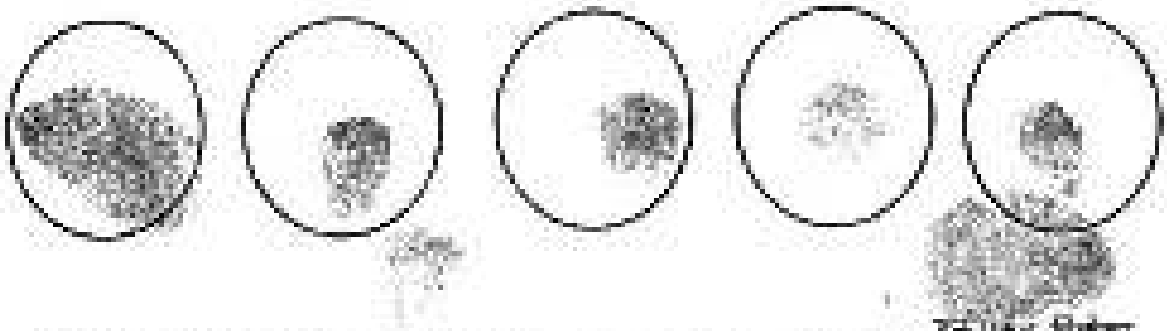

डिक्लेयरर विक्रेता

क्रेता का नाम व पता– [illegible] पुत्र [illegible], निवासी [illegible], जिला– [illegible], पत्रा–[illegible], [illegible]–[illegible], आयु

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

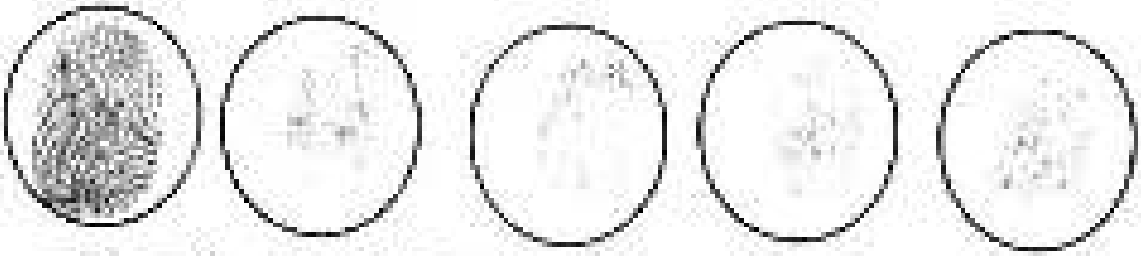

बाईं हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

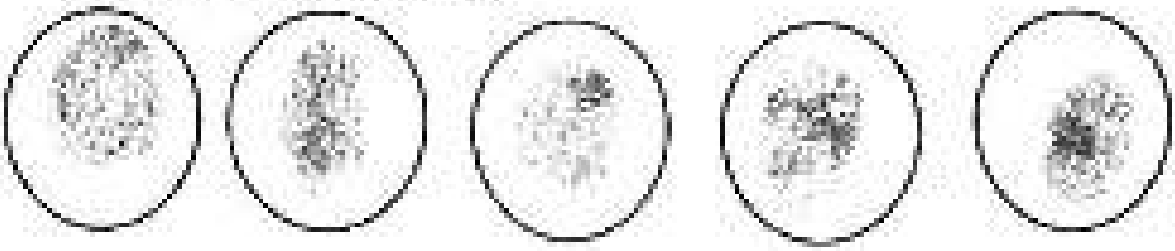

डिक्लेयरर क्रेता

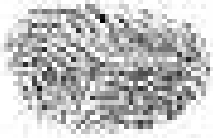

[illegible] 20-05-2011 [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] 12783

[illegible] [illegible] [illegible] 104 [illegible] 7275

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]